कार्यालय निदेशक, स्वामी विवेकानन्द कॅरियर मार्गदर्शन योजना, उच्च शिक्षा विभाग (म.प्र.शासन)
महिला पॉलीटेक्निक, ओल्ड आय.आय.एम. बिल्डिंग, राजेन्द्र नगर इन्दौर
फोन / फैक्स 0731–2321314, e-mail: svcgsmp@gmail.com 9425047550

इंदौर, दिनांक 13.02.2014

क्रमांक 1848 / 13

प्रति,

प्राचार्य,

1. शा. महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर
2. शा. तिलक महाविद्यालय, कटनी
3. स्वामी विवेकानंद शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर
4. शा. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम
5. शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन
6. शा. हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल
7. शा. नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद
8. शा. महाविद्यालय, बुधनी जिला सीहोर
9. माता जीजाबाई शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर
10. शा. आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर

विषय :– स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना (योजना क्रमांक 6915) के तहत विद्यार्थियों के औद्योगिक भ्रमण विषयक।

संदर्भ :– आयुक्त कार्यालय का पत्र क्रमांक 195 / 326 / बजट / 13 भोपाल दिनांक 11.02.2014.

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ मे लेख है कि स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के तहत चतुर्थ तिमाही में नवाचार के तहत प्रदेश के उपर्युक्त 10 शासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के औद्योगिक भ्रमण हेतु रू. 10,000/– (अक्षरी रू. दस हजार मात्र) प्रति महा. के हिसाब से वर्ष 2013–14 की चतुर्थ तिमाही में आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित की गई है। आवंटित राशि का व्यय बजट शीर्ष 44–2202–03–103–6915–0101–31–002 के तहत दिनांक 31.03.2014 के पूर्व विकलनीय होगा। राशि शीघ्र ही आपके डी.डी.ओ कोड में अंतरित की जायेगी।

आग्रह है कि विद्यार्थियों के औद्योगिक भ्रमण का कार्य दिनांक 10 मार्च 2014 तक पूर्ण कर देयक कोषालय में दिनांक 15.03.2014 तक प्रस्तुत कर दें।

इस कार्यक्रम हेतु आवंटित राशि का उपयोग मितव्यायिता के साथ किया जाए फोटोग्राफी / स्वल्पाहार पर न्यूनतम व्यय किया जाना सुनिश्चित करें किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय / भुगतान की जिम्मेदारी आयोजक संस्थान की होगी।

उक्त धन राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार, वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये जाँच हेतु खुले रहेंगे।

नोट :– समस्त प्राचार्यो को आयुक्त महोदय से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में यह सूचित किया जाता है कि वे योजना की प्राप्त राशि को दिनांक 10.03.2014 तक म.प्र.शासन के नियमानुसार क्रय नियमों का पालन करते हुए मितव्ययीता के साथ उपयोग में लाकर दिनांक 31.03.2014 तक ... देयकों की छायाप्रति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यालय निदेशक स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना

...दौर को आवश्यक रूप से भेजें जिससे की उपयोग की गई राशि की ... दि. 03.04.2014 तक आयुक्त महोदय को भेजी जा सके।

विद्यार्थियों हेतु आवंटित राशि उपयोग नही की गई या लेप्स हो गई तो समस्त जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

विद्यार्थियों के औद्योगिक भ्रमण के तहत उपर्युक्त महाविद्यालयों में निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है –

1. विद्यार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से प्रत्यक्ष संपर्क करवाने हेतु औद्योगिक भ्रमण का आयोजन किया जाना है, ताकि विद्यार्थी निर्माणी तथा सेवा उद्योगों की गतिविधियों को संबंधित स्थल पर उपस्थित होकर समझ सके तथा व अपने आपको संभावित रोजगार हेतु तैयार कर सके। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनमें उद्यमी गुण है, स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करते हुए अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अभिप्रेरित हो सके।
2. भ्रमण हेतु क्षेत्र की ऐसी औद्योगिक ईकाईयों के चयन को प्राथमिकता दी जाए, जिन्हें काफी संख्या में मानव संसाधन की आवश्यकता होती है तथा वे महा. के विद्यार्थियों को प्लेसमेंट उपलब्ध कराने हेतु तैयार हो।
3. भ्रमण हेतु क्षेत्र के उन उद्योगों का चयन भी किया जा सकता है जो विद्यार्थियों में रोजगारमूलकता की वृद्धि हेतु महाविद्यालय को सलाह देने तथा विद्यार्थियों की मेंटरिंग करने हेतु महाविद्यालयों को गोद लेने में रूचि रखते हो।
4. औद्योगिक भ्रमण हेतु स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाए।

डॉ. आदित्य लूणावत
निदेशक
स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन ... इंदौर

पृ. क्रमांक 1849 / 12 इन्दौर, दिनांक 13.02.2014

प्रतिलिपि –

- माननीय महालेखाकार ग्वालियर।
- ति.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर संभाग, म.प्र. की ओर इस आग्रह के साथ कि संबंधित महाविद्यालयों को निर्धारित समय-सीमा में विद्यार्थियों के औद्योगिक भ्रमण हेतु आप अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- संयुक्त संचालक (वित्त), उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- डॉ. ए.एस. यादव, वि.क.अ., उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल।
- संबंधित कोषालय अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

डॉ. आदित्य लूणावत
निदेशक
स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन ... इंदौर

कार्यालय निदेशक, स्वामी विवेकानन्द कॅरियर मार्गदर्शन योजना, उच्च शिक्षा विभाग (म.प्र.शासन)
महिला पॉलीटेक्निक, ओल्ड आय.आय.एम. बिल्डिंग, इन्दौर – 09
फोन / फैक्स 0731–2321314, e-mail: svcgsmp@gmail.com 9425047556

क्रमांक 1846 / 13 इन्दौर, दिनांक 12.02.2014

प्रति,

पाचार्य,
06 शासकीय महाविद्यालय,
म.प्र.

ध्यानाकर्षण :– प्रकोष्ठ प्रभारी , स्वामी विवेकानद कॅरियर मार्गदर्शन योजना एवं संबंधित [illegible] के लेखा प्रभारी।

विषय :– सत्र 2013–14 की द्वितीय तिमाही में आयोजित अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के लंबित भुगतान हेतु।

संदर्भ :– आयुक्त कार्यालय का पत्र कमांक 194 / 326 / बजट / 13 भोपाल, दिनांक 11.02.14

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन, भोपाल के उक्त संदर्भित पत्र के अनुसार निम्न 06 महाविद्यालयों को 2013–14 की द्वितीय तिमाही में आयोजित किये गये अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आयोजन के लंबित भुगतान हेतु राशि स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना, उच्च शिक्षा के तहत अनुमोदित की गई है। इस राशि का आहरण माग संख्या 44–2202–03–103–6915–0101–31–002 के तहत 2013–14 की चतुर्थ तिमाही में विकलनीय होगा। अतः कृपया अनुमोदित राशि का उपयोग लंबित भुगतान हेतु [illegible] के पूर्व अनिवार्यतः किया जाना सुनिश्चित करें। यह राशि शीघ्र ही आपके डी.डी.ओ. कोड [illegible] की जायेगी।

क्र	महाविद्यालय का नाम (महा. के पत्र कमांक सहित)	डी.डी.ओ. कोड	प्रदत्त राशि
1	शा.माधव महा. चंदेरी जिला अशोकनगर (440 / 13 चंदेरी दिनांक 08.10.13)	4713802001	6190
2	शा.महा.निवाली जिला बडवानी (1269 / 13 निवाली दिनांक 30.10.13)	233802001	15000
3	शा.जवाहरलाल नेहरू महा.नेपानगर जिला बुरहानपुर (471 / 13 नेपानगर दिनांक 06.11.13)	4803802001	15000
4	शा.कला एवं वाणिज्य महा.हरदा (1652 / 13 हरदा दिनांक 08.10.13)	1503802001	[illegible] 790

5	शा.स्वामी विवेकानंद महा.सारंगपुर जिला राजगढ (1888/13 सारंगपुर दिनांक 27.11.13)	3043802004	15000
6	शा.महा.खुरई जिला सागर (..../13 खुरई दिनांक 14.11.13)	3353802004	15000

पुनः अनुरोध है कि अनुमोदित राशि से लंबित भुगतान को उपरोक्त निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आयुक्त कार्यालय को जानकारी भेजी जा सके।

डॉ. आदित्य लूणावत
निदेशक,
स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना इन्दौर

पृ. क्रमांक 1847/13 इन्दौर, दिनांक 12.02.2014

प्रतिलिपि –

- संयुक्त संचालक (वित्त), उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश शासन भोपाल
- डॉ. एस.के.पारे, नोडल अधिकारी, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- गार्ड फाईल।

डॉ. आदित्य लूणावत
निदेशक,
स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना इन्दौर

दिनांक 04.02.2014

कार्यालय निदेशक, स्वामी विवेकानन्द कॅरियर मार्गदर्शन योजना, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन)
महिला पॉलीटेक्निक, ओल्ड आय.आय.एम. बिल्डिंग, राजेन्द्र नगर, इन्दौर - 09
फोन/फैक्स 0731-2321314, e-mail: svcgsmp@gmail.com 9425047556

क्रमांक 1844/13 इंदौर, दिनांक 12.02.2014

प्रति,

प्राचार्य,

1. शा. मोहनलाल हरगोविन्ददास गृहविज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर
2. शा. कन्या महाविद्यालय, देवास
3. शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन
4. शा. कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर
5. शा. एम.एल.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल
6. शा. सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल
7. शा. एम.एल.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर
8. शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
9. शा. कन्या महाविद्यालय, शिवपुरी
10. शा. इंदिरागांधी गृहविज्ञान महाविद्यालय, शहडोल

विषय :- स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना (योजना क्रमांक 6915) के तहत उद्यमिता एवं स्वरोजगार जैसे विषय पर नवाचार बाबत्।

संदर्भ :- आयुक्त कार्यालय का पत्र क्रमांक 195/326/बजट/13 भोपाल दिनांक 11.02.2014.

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के तहत चतुर्थ तिमाही में नवाचार के तहत प्रदेश के उपर्युक्त 10 शासकीय महाविद्यालयों में उद्यमिता शिविर हेतु रू. 10,000/- (अक्षरी रू. दस हजार मात्र) प्रति महा. के हिसाब से वर्ष 2013-14 की चतुर्थ तिमाही में आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित की गई है। आवंटित राशि का व्यय बजट शीर्ष 44-2202-03-103-6915-0101-31-002 के तहत दिनांक 31.03.2014 के पूर्व विकलनीय होगा। राशि शीघ्र ही आपके डो.डी.ओ कोड में अंतरित की जायेगी।

आग्रह है कि उद्यमिता शिविर का आयोजन दिनांक 05 मार्च 2014 तक कर रिपोर्ट कार्यालय में दिनांक 10.03.2014 तक प्रस्तुत कर दें।

उद्यमिता शिविर के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि विद्यार्थी उनके अभिभावक तथा नगर के आमनागरिकों को शिविर आयोजन की तिथि ज्ञात हो सके एवं बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी कर सके। विद्यार्थियों के पंजीयन रजिस्टर का व्यवस्थित संधारण किया जाए जिससे कि शासन द्वारा जानकारी मांगे जाने पर विद्यार्थियो की महाविद्यालयवार/संकायवार/वर्ग वार (एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य)/लिंग वार जानकारी जुटाना सहज हो।

माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 22.01.14 में लिये गये निर्णयों के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 24 के अनुसार शिविर में सम्माननीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये।

इस कार्यक्रम हेतु आवंटित राशि का उपयोग मितव्ययिता के साथ किया जाए। हार-फूल /फोटोग्राफी/स्वल्पाहार पर न्यूनतम व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी आयोजक संस्थान की होगी।

नोट :- समस्त प्राचार्यो को आयुक्त महोदय से प्राप्त निर्देशो के परिपालन में लेख [illegible] किया जाता है कि वे योजना की प्राप्त राशि का दिनांक 05.03.2014 तक म.प्र.शासन के भण्डार क्रय नियमों का पालन

02/2014

- **आपके महा. के आसपास के सभी शा. महाविद्यालयों के कॅरियर काउंसलरों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया जाए जिसमें कॅरियर अवसर मेले के आयोजन तथा उन्हें सौंपे गए दायित्वों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा हो सके।**
- **संबंधित महाविद्यालय के कॅरियर प्रकोष्ठ के माध्यम से रोजगारप्रदाताओं/सेवाप्रदाताओं की बैठक आयोजित की जाए तथा उन्हें ससम्मान स्थानीय रोजगार अवसर मेले में आमंत्रित किया जाए।**
- **कॅरियर अवसर मेले में रोजगारप्रदाता/सेवाप्रदाता इकाईयों के स्टाल लगाकर विद्यार्थियों को सीधे उनके संपर्क में लाया जाए।**

स्थानीय उद्योगों एवं व्यवसायों के साथ–साथ आप इस कार्यालय द्वारा भेजी गई सूची एवं आपके जिलें के टी.पी.ओ द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार सभी उद्योगों/व्यवसायों एवं कंपनीयों से संर्पक कर उन्हे इस कॅरियर अवसर मेले में आमंत्रित करें, ताकि अधिकतम विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हो सके।

- कॅरियर मेले में विषय विशेषज्ञों/ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर/सफल उद्योगपतियों [illegible] /सेमिनार भी आयोजित किये जायें।
- कॅरियर अवसर मेले में शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों [illegible] निजी कोचिंग क्लासेस/संस्थाओं /अंग्रेजी बोलना सिखाने वाले /व्यक्तित्व विकास /[illegible]/एनीमेशन/एयर होस्टेस ट्रेनिंग/एम.बी.ए. प्रवेश परीक्षा तैयारी संबंधी स्टाल न लगवाए जाएँ।
- ऐसे स्टाल अवश्य लगवाए जाने का प्रयास करें जिससे विद्यार्थियों का [illegible] / विद्यार्थियों के हित में बनी शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी [illegible] जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जन शिक्षण संस्थान, खादी एवं ग्रामोद्योग [illegible] शहरी विकास प्राधिकरण, जिला रोजगार कार्यालय, स्वयंसेवी संस्थाएँ, कौशल उन्नयन पाठ्यक्रमों का आयोजित करने वाली संस्थाओं के स्टाल लगवाए जा सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो [illegible] भी निर्धारित किया जा सकता है (रू 1000/– अक्षरी रू एक हजार तक अधिकतम) ताकि स्टाल लगाने के व्यय की प्रतिपूर्ति हो सके।
- **शासकीय कार्यालयों/उपक्रमों/संस्थानो एवं उन संस्थानों को जो कि रोजगार के लिये विद्यार्थियों के चयन हेतु उपस्थित होती है, को स्टॉल शुल्क से मुक्त रखा जाये।**
- कॅरियर अवसर मेले के उद्घाटन हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों यथा शासन [illegible] मनीषगणो माननीय सांसद, माननीय विधायक (माननीय मंत्री जी/राज्य मत्री जी, उच्च शिक्षा द्वारा [illegible] समीक्षा बैठक दिनांक 22.01.14 में लिये गये निर्णयो के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक [illegible] अनुसार कॅरियर अवसर मेले मे सम्माननीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाय।) स्थानीय सफल उद्योगपतियों/व्यवसायियों, सिविल सेवा, न्यायिक सेवा एवं राज्य सेवा के अधिकारियों को आमंत्रित किया जा सकता है ताकि [illegible] अनुभवों से [illegible] विद्यार्थियों [illegible]
- केवल स्थानीय हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूलों को भी जिला शिक्षा अधिकारी [illegible] के माध्यम से कॅरियर अवसर मेले के आयोजन की सूचना दी जाए ताकि [illegible] कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही स्थानीय [illegible] संस्थानों में भी इसकी सूचना दी जाए।

करते हुए मितव्ययीता के साथ उपयोग में लेकर दिनांक 31.03.2014 तक [illegible] देयको की छायाप्रति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यालय निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना इंदौर को आवश्यक रूप से भेजे जिससे की उपयोग की गई राशि की जानकारी दिनांक 03.04.2014 तक आयुक्त महोदय को भेजी जा सके।

विद्यार्थियों हेतु आवंटित राशि उपयोग नही की गई या लेप्स हो गई तो समस्त ज़वाबदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

उद्यमिता शिविर के तहत उपर्युक्त महाविद्यालयो में निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है –

1. अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के तहत महाविद्यालय में उद्यमिता [illegible] गतिविधियों के तहत विद्यार्थियों द्वारा तैयार किये गये उत्पादों के प्रदर्शन सह विक्रय के लिए 01 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।
2. कार्यशाला में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित केन्द्र तथा राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाना है। अतः इन विभागों के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाना है। स्वरोजगार स्थापना हेतु इच्छुक विद्यार्थियों का प्रारंभिक पंजीयन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में किया जाना सुनिश्चित करें।
3. कार्यशाला में बैंक अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाये, ताकि स्वरोजगार स्थापना हेतु ऋण लेने की संपूर्ण प्रकिया को विद्यार्थी समझ सके।
4. कार्यशाला में सफल उद्यमियों को आमंत्रित कर उनके अनुभवो से विद्यार्थियों को अभिप्रेरित कर लाभान्वित किया जाये।
5. विद्यार्थियों को स्वसहायता समूह गठन करने हेतु प्रेरित करे इस हेतु आप आपके क्षेत्र में कार्यरत् किसी सफल एन.जी.ओ./जी.ओ. की सहायता भी ले सकते है।
6. विद्यार्थियों द्वारा तैयार उत्पादों की बिकी को प्रोत्साहित करने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की विंध्यावेली परियोजना से जोड़ने के प्रयास किये जावें। [illegible] इण्डस्टीज बोर्ड के सम्पर्क दूरभाष भोपाल 0755-2572003-24675530, [illegible] 40598, इन्दौर 0731-2542212, उज्जैन– 0734–2558690, ग्वालियर– 0751–2325236 सीधा– [illegible]

डॉ. आदित्य लूणावत
निदेशक
स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना इंदौर
इन्दौर दिनांक [illegible] 2014

पृ. क्रमांक 1845/12
प्रतिलिपि –

- माननीय महालेखाकार ग्वालियर।
- वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर इस आग्रह के साथ कि संबंधित महाविद्यालयों को निर्धारित समय–सीमा में उद्यमिता शिविर के आयोजन हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- संयुक्त संचालक (वित्त), उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- डॉ. ए.एस. यादव, वि.क.अ., उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- संबंधित कोषालय अधिकारी।

निदेशक
स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना इन्दौर

कार्यालय निदेशक, स्वामी विवेकानन्द कॅरियर मार्गदर्शन योजना, उच्च शिक्षा विभाग (म.प्र.शासन)
महिला पॉलीटेक्निक, ओल्ड आय.आय.एम. बिल्डिंग, राजेन्द्र नगर, इन्दौर - 09
फोन / फैक्स 0731-2321314, e-mail: svcgsmp@gmail.com 9425047556

क्रमांक 1842 / 13 | **इन्दौर, दिनांक 12.02.2014**

प्रति,

(1) शा. महाविद्यालय सेंधवा जिला बडवानी
(2) शा. विवेकानंद महाविद्यालय मेहर जिला सतना
(3) शा. नेहरू स्नातकोत्तर महा. आगर जिला आगर मालवा
(4) शा. जवाहर लाल नहेरू स्मृति महा. शुजालपुर जिला शाजापुर
(5) शा. महात्मा गांधी स्मृति महा. इटारसी जिला होशंगाबाद

विषय :- स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना (योजना कमांक 6915) के तहत [illegible] वर्ष 2013-14 की चतुर्थ तिमाही में 01 दिवसीय कॅरियर अवरार मेलों के आयोजन बाबद्

संदर्भः- 1. आयुक्त कार्यालय का पत्र कमांक 194 / 326 / बजट / 13 भोपाल, दिनांक 11.02.14
2. इस कार्यालय का पत्र कमाक 1675 / 13 इन्दौर, दिनांक 21.01.2014.

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन भोपाल के अनुमोदन उपरांत शासकीय महाविद्यालयों को 01 दिवसीय कॅरियर अवसर मेलों के आयोजन हेतु प्रति महाविद्यालय रू 30,000 की राशि के आवंटन का अनुमोदन किया गया है। जिसका उपयोग 31 मार्च 2014 [illegible] किया जाना हैं। अतः **आग्रह है कि कॅरियर अवसर मेले का आयोजन दिनांक 10 मार्च 2014** तक कर देयक **कोषालय में दिनाक 12.03.2014** तक प्रस्तुत कर दे। आवंटित राशि [illegible] बजट **शीर्ष** 44-2202-03-103-6915-0101-31-002 के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 के [illegible] चतुर्थ तिमाही मे विकलनीय होगा। राशि शीघ्र ही आपके डी.डी.ओ. कोड मे **अंतरित की जायेगी।**

कॅरियर अवसर मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य **विद्यार्थियों को** हमारे औद्योगिक, व्यवसायिक जगत की माँग के अनुरूप न केवल तैयार करना है बल्कि उन्हें इन क्षेत्रों में रोजगार भी उपलब्ध **कराना** है एवं **असंगठित क्षेत्रों** में उपलब्ध विभिन्न रोजगार अवसरों से भी **विद्यार्थियों को** अवगत कराना है. **आज** भारतीय **अर्थव्यवस्था** विकास के जिस पड़ाव पर है वहां यह **आवश्यक** है कि संतुलित [illegible] विकास के लिये हम युवाओं में **उद्यमिता** का विकास करे। अतः इन मेलों के **दौरान** उद्यमिता विकास हेतु प्रयास भी **आवश्यक है।**

सेमेस्टर सिस्टम के तहत इंटर्नशिप व्यवस्था भी लागू की गई है अतः विद्यार्थियों को इंटर्नशिप प्रदान करने वाली संस्थाओं से परिचित कराना भी रोजगार अवसर मेले का एक अहम उद्देश्य है।

कॅरियर अवसर मेले के आयोजन के संबंध में निम्नांकित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये -

- कॅरियर अवसर मेले के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय [illegible] माध्यमों से किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को उसके आयोजन की [illegible] बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी कर सके। विद्यार्थियों के पंजीयन रजिस्टर का [illegible] किया जाए जिससे कि शासन [illegible] (एससी / एसटी / ओबीसी / सामान्य) / लिंग वार जानकारी जुटाना सहज [illegible]

इस कार्यक्रम हेतु आवंटित राशि का उपयोग मितव्ययिता के साथ किया जाए। हार–फूल /फोटोग्राफी/ विडीयोग्राफी/ स्वल्पाहार पर न्यूनतम व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/ भुगतान की जिम्मेदारी आयोजक संस्थान की होगी।

नोट :– समस्त प्राचार्यो को आयुक्त महोदय से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में यह सूचित किया जाता है कि दे योजना की प्राप्त राशि को दिनांक **28.02.2014** तक **म.प्र.शासन के भण्डार कय** नियमों का पालन करते हुए **मितव्ययीता के साथ** उपयोग में लेकर दिनांक **31.03.2014** तक उक्त राशि ... की छायाप्रति तथा **उपयोगिता प्रमाण**–पत्र कार्यालय निदेशक, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना इन्दौर को आवश्यक रूप से भेजे जिससे की उपयोग की गई राशि की जानकारी दिनांक 03.04.2014 ... आयुक्त महोदय को भेजी जा सके।

विद्यार्थियों हेतु आवंटित राशि उपयोग नही की गई या लेप्स हो गई तो समस्त जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

डॉ. आदित्य लुणावत
निदेशक
स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना इन्दौर

पृ. कमांक 1843 / 12

इन्दौर दिनांक ...

प्रतिलिपि –

- माननीय महालेखाकार ग्वालियर।
- वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर, भोपाल, रीवा, तथा उज्जैन म.प्र. की ओर इस आग्रह के साथ कि संबंधित महाविद्यालयों को निर्धारित समय–सीमा में ... आयोजन हेतु आप अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- संबंधित प्राचार्य एवं टी.पी.ओ., अग्रणी महाविद्यालयों को इस आग्रह के साथ की आयोजन में आवश्यक सहयोग करें।
- संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश ... की ओर सूचनार्थ।
- डॉ. ए.एस. यादव, वि.क.अ. उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
- संबंधित कोषालय अधिकारी।

डॉ. आदित्य लुणावत
निदेशक
स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना इन्दौर

कार्यालय निदेशक, स्वामी विवेकानन्द कॅरियर मार्गदर्शन योजना, उच्च शिक्षा विभाग, (म.प्र.शासन)
महिला पॉलीटेक्निक, ओल्ड आय.आय.एम. बिल्डिंग, राजेन्द्र नगर, इन्दौर
फोन / फैक्स 0731--2321314, e-mail: svcgsmp@gmail.com 9425047556

क्रमांक 1834 / 13 इन्दौर, दिनांक 10.02.2014

प्रति,

प्राचार्य,

(1) शा. कृष्णाजीराव पवार स्नातकोत्तर महा. देवास (2) शा. स्नातकोत्तर महा. ...
(3) शा. तिलक महाविद्यालय कटनी (4) शा. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम
(5) शा. स्नातकोत्तर महा. गुना (6) शा. स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महा. ...
(7) शा. कालीदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन (8) शा. जटाशंकर त्रिवेदी महा. ...
(9) शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा (10) शा. रानीदुर्गावती महा. मंडला
(11) शा. महाकौशल कला एवं वाणिज्य महा. जबलपुर (12) शा. स्नातकोत्तर महा. ...
(13) शा. आदर्श विज्ञान महा.ग्वालियर (14) शा. स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महा. ...

ध्यानाकर्षण :-- प्रभारी, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना, जिला ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट ऑफिसर्स एवं संबंधित महा. के लेखा प्रभारी।

विषय:-- स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना (योजना क्रमांक 6915) के तहत ... कॅरियर अवसर मेले के आयोजन बाबद।

संदर्भ:-- 1. आयुक्त कार्यालय का पत्र क्रमांक 194 / 326 / बजट / 13 भोपाल, दिनांक ...
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 167 / 13 इन्दौर, दिनांक 21.01.2014.

उपर्युक्त विषय ... अनुमोदन उपरांत ... 50,000 की राशि आवंटित की गई है। जिसका उपयोग 31 मार्च 2014 ... अतः आग्रह है कि कॅरियर अवसर मेले का आयोजन दिनांक 10 मार्च 2014 तक कर देयक ... दिनांक 12.03.2014 तक प्रस्तुत कर दें।

कॅरियर अवसर मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को हमारे औद्योगिक / व्यवसायिक जगत की माँग के अनुरूप न केवल तैयार करना है बल्कि उन्हें इन क्षेत्रों में रोजगार भी उपलब्ध कराना है एवं असंगठित क्षेत्रों में उपलब्ध विभिन्न रोजगार अवसरों से भी विद्यार्थियों को अवगत कराना है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के जिस पड़ाव पर है वहां यह आवश्यक है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिये हम युवाओं में उद्यमिता का विकास करें। अतः इन मेलों के दौरान उद्यमिता विकास हेतु प्रयास भी आवश्यक है।

सेमेस्टर सिस्टम ... लागू की गई ... प्रदान करने वाली संस्थाओं से परिचित कराना भी ... कॅरियर अवसर मेला ...

कॅरियर अवसर मेले के आयोजन के संबंध में निम्नांकित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये –

- कॅरियर अवसर मेले के आयोजन का व्यापक प्रचार–प्रसार स्थानीय मीडिया, [illegible] एवं अन्य माध्यमों से किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को उसके आयोजन की तिथि ज्ञात हो सके एवं वे बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी कर सकें। विद्यार्थियों के पंजीयन [illegible] किया जाए जिससे कि [illegible] द्वारा जानकारी [illegible] महाविद्यालयवार / संकायवार / वर्गवार (एससी / एसटी / ओबीसी / सामान्य) [illegible] जानकारी जुटाना सहज हो।
- संबंधित जिले के सभी महाविद्यालयों के कॅरियर काउंसलरों के साथ [illegible] आयोजन किया जाए जिसमें कॅरियर अवसर मेले के आयोजन तथा उन्हें सौंपे गए दायित्वों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा हो सके।
- संबंधित महाविद्यालय के कॅरियर प्रकोष्ठ के माध्यम से रोजगारप्रदाताओं / सेवाप्रदाताओं की बैठक आयोजित की जाए तथा उन्हें ससम्मान स्थानीय रोजगार अवसर मेले में आमंत्रित किया जाए।
- कॅरियर अवसर मेले में रोजगारप्रदाता / सेवाप्रदाता इकाईयों के स्टाल लगाकर विद्यार्थियों को सीधे उनके संपर्क में लाया जाए।

स्थानीय उद्योगों एवं व्यवसायों के साथ–साथ आप इस कार्यालय द्वारा भेजी गई सूची एवं आपके जिले के टी.पी.ओ. द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार सभी उद्योगों / व्यवसायों एवं कंपनीयों से संपर्क कर उन्हें इस कॅरियर [illegible] मेले में आमंत्रित करें ताकि अधिकतम विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हो सके।

- कॅरियर मेले में [illegible] एच.आर. मैनेजर / [illegible] व्याख्यान / सेमिनार भी आयोजित किया जावे।
- कॅरियर अवसर [illegible] निजी कोचिंग क्लासेस / संस्थाओं [illegible] अंग्रेजी बोलना सिखाने वाले [illegible] कम्प्यूटर / एनिमेशन / एयर होस्टेस ट्रेनिंग / एम.बी.ए. प्रवेश परीक्षा तैयारी संबंधी स्टाल न लगवाए जाएँ।
- ऐसे स्टाल अवश्य [illegible] प्रतियोगी परीक्षाओं / [illegible] शासन की विभिन्न योजनाओं [illegible] इसके तहत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जन शिक्षण संस्थान, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, [illegible] विकास प्राधिकरण, जिला रोजगार कार्यालय, स्वयंसेवी संस्थाएँ, कौशल [illegible] पाठ्यक्रम को आयोजित [illegible] हेतु शुल्क भी निर्दिष्ट किया जा सकता है (रू 2000/– अक्षरी रू दो हजार तक प्रतिदिन अधिकतम) ताकि स्टाल लगाने के व्ययों की प्रतिपूर्ति हो सके।
- शासकीय कार्यालयों / उपक्रमों / संस्थानों एवं उन संस्थानों को जो कि रोजगार के लिए विद्यार्थियों के चयन हेतु उपस्थित होती हैं, को स्टॉल शुल्क से मुक्त रखा जावे
- कॅरियर अवसर [illegible] प्रतिष्ठित व्यक्तियों [illegible] मंत्रीगणों, माननीय सांसद, माननीय विधायक (माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्री [illegible] शिक्षा द्वारा 'विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 22.01.11 में लिये गये निर्णयों के कार्यवाही विवरण के [illegible] क्रमांक 24 के

अनुसार कॅरियर अवसर मेले में सम्माननीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये।) स्थानीय सफल उद्योगपतियों/व्यवसायियों, सिविल सेवा, न्यायिक सेवा एवं राज्य सेवा के अधिकारियों को आमंत्रित किया जा सकता है ताकि उनके अनुभवों का लाभ भी विद्यार्थियों को मिल सके।

- केवल स्थानीय [illegible] के माध्यम से कॅरियर अवसर मेले के आयोजन की सूचना दी [illegible] अध्ययनरत विद्यार्थी भी इससे [illegible] सकें। साथ ही स्थानीय [illegible] संस्थानों में भी [illegible]

इस कार्यक्रम हेतु आवंटित राशि का उपयोग मितव्ययिता के साथ किया जाए। हार फूल /फोटोग्राफी/विडीयोग्राफी/स्वल्पाहार पर न्यूनतम व्यय किया जाना सुनिश्चित करें किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी आयोजक संस्थान की होगी।

नोट :— समस्त प्राचार्यों को आयुक्त महोदय से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में [illegible] जाता है कि वे योजना की प्राप्त राशि का दिनांक 28.02.2014 तक म.प्र.शासन के भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए मितव्ययीता के साथ उपयोग [illegible] दिनांक 31.03.2014 [illegible] देयकों की छायाप्रति तथा उपयोगिता प्रमाण—पत्र कार्यालय निदेशक, स्वामी विवेकानन्द [illegible] इन्दौर को आवश्यक रूप से भेजें जिससे की उपयोग की गई राशि की जानकारी दिनांक 03.04.2014 तक आयुक्त महोदय को भेजी जा सके।

विद्यार्थियों हेतु आवंटित राशि उपयोग नही की गई या लेप्स हो गई तो समस्त जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

संलग्न :— कॅरियर अवसर मेले के आयोजन के संबंध में मार्गदर्शक [illegible]

डॉ. अतिरिक्त [illegible]
निदेशक
स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन [illegible] इन्दौर

पृ. क्रमांक 1835/13 इन्दौर, दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि —

- वि.क.अ. सह आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- संयुक्त संचालक [illegible] उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, [illegible] जबलपुर, ग्वालियर एवं [illegible] आग्रह के साथ की [illegible] आपके स्तर से आवश्यक [illegible]
- डॉ. ए.एस. यादव [illegible] अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन [illegible]
- गार्ड फाईल।

डॉ. अतिरिक्त [illegible]
निदेशक
स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन [illegible] इन्दौर